// **<u>नि र्ण य</u>** //

प्रकरण कमांक–1441/2023

(आज दिनांक 08.12.2023 को घोषित किया गया)

1– प्रकरण में आरोपीगण पर सार्वजनिक जुंआ अधिनियम की धारा 13 अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

2– आरोपीगण को उक्त धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित करने के संबंध में संक्षिप्त विचारण की प्रकिया के अंतर्गत समरी सीट पर अपराध की विशिष्टियां बनाई जाकर पढ़कर सुनायी समझायी गई तो आरोपी ने अपराध कारित करना स्वीकार किया।

3– आरोपीगण द्वारा की गई स्वतंत्र, स्वेच्छिक एवं निःशर्त स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को सार्वजनिक जुंआ अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित करने का दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

4– आरोपी/गण को सार्वजनिक जुंआ अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप मे प्रत्येक आरोपी को 100–100/–रूपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि जमा करने में व्यतिक्रम होने प्रत्येक आरोपी को 07–07 दिवस का कारावास भुगताया जावे।

5– प्रकरण मे जप्तशुदा सम्पत्ति 1170/– रूपये राजसात की जाती है तथा शेष सम्पत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर म.प्र.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर (म.प्र.)